माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में समिति कक्ष, 'सी' विंग, प्रथम तल, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में 22.2.2008 को आयोजित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचना सां.आ.1996(अ.) दिनांक 28 नवम्बर, 2007 द्वारा पुनर्गठित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की पहली बैठक श्री ऑस्कर फर्नांडिस, माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में आयोजित की गयी थी। कार्यसूची का विषय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन संबंधी प्रस्तावों पर विचार करना था । बैठक में भाग लेने वालों की सूची संलग्न है।

श्रीमती सुधा पिल्ले, सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने उद्घाटन संबोधन में माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबी) तथा पुनर्गठित नए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों का स्वागत किया । आज, हमारे देश, जहां कुल नियोजन का लगभग 94 प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र में है, में मजदूरी निर्धारण का मुद्दा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस अनौपचारिक क्षेत्र में, मजदूरी निर्धारण को पूरी तरह से बाजार बलों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता तथा इसमें सरकार का हस्तक्षेप पूर्णतः आवश्यक है। यह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधान है, जिसका हमारे श्रम बल के सबसे बड़े भाग के कल्याण और हित के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रभावी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में विभिन्न संशोध्न प्रस्तावों से संबंधित मुद्दा काफी समय से लंबित रहा है । चूंकि केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है इसके द्वारा विचार-विमर्श किया जाना आवश्यक है ताकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 को और अधिक प्रभावी तथा प्रासंगिक बनाया जा सके। हम सब कार्यवाही के संबंध में मंत्री जी के मार्गदर्शन का हार्दिक स्वागत करेंगे ।

माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडिस ने भी नवगठित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इसकी पहली बैठक में इसके सदस्यों का स्वागत किया है । उन्होंने बताया कि बोर्ड का उत्तरदायित्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है जैसा कि सचिव, श्रम और रोजगार ने पहले ही बताया है । देश में, असंगठित क्षेत्र में कामगारों की संख्या बढ़कर 94 प्रतिशत तक हो गयी है। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकांश लोगों की हालत अच्छी नहीं है। उनके हित के बारे में सोचना और उसका ध्यान रखना सरकार तथा इस बोर्ड की जिम्मेदारी है। श्रमिक संघ चाहते हैं कि अधिक से अधिक कामगारों को संगठित क्षेत्र में शामिल किया जाए। दूसरी ओर, उद्योग चाहता है कि अधिक से अधिक कामगारों को असंगठित क्षेत्र में रखा जाए। वैश्विक भूमंडलीकरण के इस युग में, कामगारों के हित का संरक्षण करना होता है। बोर्ड का एजेंडा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन प्रस्तावों पर विचार एवं चर्चा किए जाने से संबंधित है।

विचार-विमर्श प्रारम्भ करते हुए, डा. अशोक साहु, श्रम और रोजगार सलाहकार ने केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों का स्वागत किया । उन्होंने सदस्यों को बताया कि केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की पिछली बैठक 3 जून, 2005 को हुयी थी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर पहले ही विचार-विमर्श किया जा चुका है । यह यह मुद्दा काफी समय से लंबित है और इस अधिनियम में संशोधन किए जाने के संबंध में संसद को आश्वासन दिए गए हैं। 9-10 दिसम्बर, 2005 को आयोजित 40 वें भारतीय श्रम सम्मेलन में भी इन संशोधनों पर खंड-वार विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया है। उसमें कुछ बिन्दुओं पर सहमति हुयी थी और कुछ पर कोई आमराय नहीं बन पायी । अतः केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के उपस्थित सभी सदस्यों से अनुरोध है कि विधायी कार्रवाई के लिए सरकार द्वारा पहल किए जाने से पूर्व किसी आम राय पर पहुंचे । राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह बताया गया है कि श्रम कानूनों में परिवर्तन किया जा सकता है किन्तु ऐसा करते समय कामगारों के हित की रक्षा की जानी चाहिए और यह आम राय पर आधारित होना चाहिए। अधिनियम की संगत धाराओं, विद्यमान प्रावधान तथा पिछले केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड और 40 वें भारतीय श्रम सम्मेलन में की गयी टिप्पणियों के साथ प्रस्तावित संशोधन दर्शाने वाली कार्यसूची

टिप्पणी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्यों को पहले ही परिचालित तथा उपलब्ध करा दी गयी है।

डा. हरचरण सिंह, उप-महानिदेशक ने बताया कि केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की पिछली बैठक में, अधिकांश प्रस्तावों पर सहमति हो गयी थी किन्तु कुछ पर विचारों में मतभेद था । तत्पश्चात इसे 40 वें भारतीय श्रम सम्मेलन में लिया गया किन्तु प्रस्तावित सभी संशोधनों पर फिर भी आम राय नहीं बन सकी । अंततः, यह निर्णय लिया गया कि इस पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड, जो एक सांविधिक निकाय है, द्वारा प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव के संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने के लिए आमराय बनायी जाए। अतः, हम संशोधन प्रस्तावों को मद वार ले सकते हैं।

डा. हरचरण सिंह, उप-महानिदेशक ने यह सूचित किया कि "अन्य नियोजन" को अनुसूचित नियोजन के अंतर्गत शामिल किए जाने से संबंधित मद संख्या 1 आवश्यक है क्योंकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 केवल उन नियोजनों पर लागू होता है जिनका अनुसूची में उल्लेख किया गया है। वर्तमान में, अनुसूची में उल्लिखित नियोजनों के अलावा अन्य नियोजनों में लगे कामगार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के अंतर्गत संरक्षित नहीं है। राष्ट्रीय श्रम आयोग ने भी इस प्रस्ताव की सिफारिश की थी। इस संशोधन का उद्देश्य सभी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत शामिल करना और संरक्षण प्रदान करना है। पिछला केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड इस प्रस्ताव से सहमत था किन्तु भारतीय श्रम सम्मेलन में इसके कानूनी निहितार्थों की जांच किए जाने का उल्लेख किया क्योंकि यह अनुसूची में परिभाषित नियोजन नहीं है। इसके अलावा, न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय पर आसानी से हस्ताक्षर नहीं किए जा सके क्योंकि सभी कामगार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 के दायरे में नहीं आते हैं । इसके बाद कानूनी सलाहकार से कानूनी निहितार्थों पर टिप्पणी करने का अनुरोध किया गया ।

कार्यसूची बिन्दुओं को उठाए जाने से पूर्व सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए जो निम्नवत हैः-

1. एटक के श्री के.श्रीनिवास राव ने बताया कि स्वतंत्रता के 60 वर्षों में बोर्ड की केवल 18 बैठकें आयोजित की गयी हैं । बोर्ड की बैठक का आयोजन केवल एक बार किया जाता है जो पर्याप्त नहीं है । पिछली बैठक में आंगनवाड़ी कामगारों को अनुसूची में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया था । तत्पश्चात बैठक आयोजित नहीं की गयी और बैठक का कार्यवृत्त परिचालित नहीं किया गया । सेनगुप्ता समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्र के कामगार की दयनीय दशा का उल्लेख किया है। कामगार समुदाय के समग्र लाभ के लिए सरकारी नीति और अधिकारी वर्ग को सामांजस्य के साथ करना है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण ग्रामीण उपभोक्ता व्यय की अपेक्षा शहरी उपभोक्ता व्यय के आधार पर किया जाना चाहिए। यह कामगारों की जरूरत पर भी आधारित होनी चाहिए।

माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री ने कहा कि बैठकों का आयोजन परम्परा के अनुसार किया जाना चाहिए, इसका कड़ाई से पालन किया जाए । अभिलेखों का रख-रखाव उचित रूप से किया जाना चाहिए तथा कार्यवाहियों को वेबसाइटों पर भी डाला जाना चाहिए।

2. सीटू के श्री जीवन रॉय ने बताया कि इस प्रस्ताव पर 2005 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन, जो दो वर्ष पहले हुआ था, में विचार-विमर्श हुआ था तब से अनेक ढांचागत परिवर्तन हो चुके हैं। संगठित क्षेत्र का झुकाव भी अधिक असंगठित प्रकृति की ओर है क्योंकि अधिकांश बड़े उद्योगों में और अधिक दिहाड़ी तथा ठेका कामगार नियोजित किए जा रहे हैं। स्थायी तथा दैनिक ठेका कामगारों के बीच मजदूरी अंतर काफी अधिक है। मजदूरी संरचना में नये परिवर्तन हो रहे हैं और इनका मजदूरी निर्धारण करते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि दोषी नियोक्ताओं के ऊपर दंड तो लगाया जा सकता है

किन्तु उन राज्य सरकारों के बारे में क्या होगा, जो कई वर्षों से न्यूनतम मजदूरी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण का आधार ग्रामीण अथवा शहरी व्यय के आधार पर हो इसका निर्धारण समुचित सरकारों द्वारा किया जाये। इसके विस्तृत पहलू को ध्यान में रखा जाये।

3. सी आई ई के श्री बी.सी. प्रभाकर ने कहा कि भारतीय श्रम सम्मेलन तथा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड कुछ कार्य सूची मदों पर सहमत हुए हैं किन्तु नवगठित बोर्ड के सदस्यों को इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। (तत्पश्चात् केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की पूर्व बैठक एवं भारतीय श्रम सम्मेलन के 40वें सत्र के कार्यवृत्त केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के नये सदस्यों के बीच वितरित किए गए)। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है उसका भुगतान किया जाना चाहिए। बेरोजगारी खासकर युवा वर्गों के बीच बढ़ रही है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारण तथा उसका कार्यान्वयन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। संशोधन के द्वारा अधिनियम को और अधिक सख्त नहीं बनाया जाना चाहिए।

4. एन एफ आई टी यू के श्री सुजीत कुमार विश्वास ने कहा कि अलग-अलग राज्यों ने अलग-अलग संशोधन किए हैं। किस स्तर तक राज्य परिवर्तन कर सकता है इसके लिए एक मानक बनाया जाना चाहिए। राज्य सरकार को परिवर्तन करने संबंधी अधिक स्वतंत्रता नहीं दी जानी चाहिए।

5. यू टी यू सी के श्री अशोक घोष ने सुझाव दिया कि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय सर्वप्रथम हमें एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति बनानी चाहिए तथा केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जानी चाहिए जिसका कार्यान्वयन पूरे देश में किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी से नीचे किसी व्यक्ति को नियोजित न किया जाए। 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन के सुझावों को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की प्रमात्रा निर्धारित करते समय अमल में लाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बीड़ी उद्योग, ईंट क्षेत्र उद्योग के साथ-साथ प्रवासी श्रमिकों के मध्य पुरूष और महिला के बीच असमानता है। न्यूनतम मजदूरी के द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को संरक्षण प्राप्त है। 80/- रूपये की राष्ट्रीय फ्लोर स्तर

न्यूनतम मजदूरी का कार्यान्वयन पूरे देश में नहीं हो रहा है।

6. डॉ. देवेन्द्र कुमार ने कहा कि राज्य स्तरीय संशोधन के माध्यम से राज्य किसी विशेष उद्योग में न्यूनतम मजदूरी के संरक्षण को हटा देता है। औद्योगिक कामगारों को दिये जाने वाले सामाजिक संरक्षण को हटाना औचित्यपूर्ण नहीं है तथा इसे राज्य सरकार के विवेकाधिकार पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। गुजरात में सरकार ने साल्ट पेन उद्योग में नियोजन को अनुसूची से हटाने का निर्णय लिया है। इसका आशय यह है कि गुजरात सरकार को यह स्वीकार्य है कि साल्ट उद्योग में कामगारों को न्यूनतम मजदूरी की दर न देते हुए उसका शोषण हो। तथापि, माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि केवल केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र संबंधी मामले पर ही बैठक में चर्चा हो तथा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र संबंधी मामले को राज्यों पर ही छोड़ दिया जाए।

7. यू टी यू सी (एल एस) के श्री संकर साह ने सुझाव दिया कि अधिक से अधिक कामगारों को कवर करने हेतु अनुसूचित रोजगारों की संख्या बढ़ायी जाए। लाखों कामगारों को न्याय दिलाने हेतु न्यूनतम मजदूरी को

सूचकांक से जोड़ दिया जाए। 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन के मजदूरी निर्धारण संबंधी मानदंडों तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पूरी तरह स्वीकार करते हुए अमल में लाया जाए।

8. बी एम एस के श्री आदित्य साहू ने कहा कि बैठक के कार्यवृत्त तथा कार्यसूची नोट हिन्दी में भी उपलब्ध कराई जाए। माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ने आश्वस्त किया कि अगली बार पूरी कार्रवाई द्विभाषी ?०प में भेजी जायेगी तथा वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी जायेगी। बोर्ड दो महीनों के भीतर दोबारा बैठक आयोजित करके संशोधन प्रस्ताव पर अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। तत्पश्चात् प्रस्तावों पर मदवार विचार-विमर्श की कार्यवाही शुरू की।

मद 1.

बोर्ड के अध्यक्ष ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की अनुसूची में उल्लेख न किए गए अन्य नियोजनों को इसके अंतर्गत कवर करने संबंधी प्रस्ताव का स्वागत किया।

श्री सुरेश चंद्रा, कानूनी सलाहकार, ने अनुसूची में कवर नहीं हो रहे "अन्य नियोजन" को इसमें जोड़ने संबंधी कानूनी पहलू की समीक्षा करते हुए कहा कि यदि नियोजन का विशेष ?०प से उल्लेख नहीं किया गया तो अनुसूची की प्रासंगिकता नहीं बनी रह पायेगी। औद्योगिक क्षेत्र के लिए भाग । तथा कृषि के लिए भाग ।। में अनुसूची है। किन्तु "अन्य रोजगार श्रे|णी" का उल्लेख करना युक्तिसंगत नहीं होगा।

माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा कि इसे सामान्य अपवाद खंड के अंतर्गत रखा जायेगा जिसमें यह उल्लेख है कि जो अनुसूची में परिभाषित नहीं है वह इस खंड के द्वारा कवर होगा।

सी आई ई के श्री माइकल डायस ने कहा कि वर्तमान कानून के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय में अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त करना संभव नहीं हो पायेगा। यदि हमें "कोई अन्य नियोजन" श्रे|णी को जोड़ना है तो अधिनियम में उल्लिखित "कर्मचारी" की परिभाषा बदलनी होगी। हरिया|णा असंगठित स्कूल संघ मामला 1996 में उच्चतम न्यायालय ने न्यूनतम मजदूरी की अनुप्रयोज्यता को शिक्षकों पर लागू

नहीं किया क्योंकि वे "कर्मचारी" की परिभाषा में नहीं आते। इसकी विधिक ?०प से समीक्षा आवश्यक है।

श्री मंजुनाथ सारती, सहायक श्रमायुक्त कर्नाटक ने कहा कि कर्नाटक राज्य सरकार देश में पहली ऐसी सरकार है जिसने घरेलू नौकरों को अनुसूची में अलग नियोजन के ?०प में रखा है तथा उनके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। यह सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। अतः "अन्य नियोजन" को कवर करना एक अच्छी पहल है।

श्री देवेन्द्र कुमार ने यह उल्लेख किया कि न्यूनतम मजदूरी केवल उन्हीं कामगारों को उपलब्ध है जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं तथा यह अन्य कामगारों को उपलब्ध नहीं है जोकि उचित नहीं है। साथ ही कामगारों, उद्योगों, कौशलों की विस्तृत सूची तैयार करना व्यवहार्य नहीं है। यदि हम सभी कामगारों को संरक्षण देना चाहते हैं तो यह प्रस्ताव सबसे अच्छा प्रस्ताव है। यदि हम न्यूनतम मजदूरी को आवश्यक सामाजिक आवश्यकता की श्रेणी में रखते हैं तो इसे सभी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके द्वारा भारत में न्यूनतम मजदूरी के सिद्धांत में बड़ा परिवर्तन आयेगा। यह देश में न्यूनतम मजदूरी संरचना में

महत्वपूर्ण बदलाव लायेगा। इसके माध्यम से हम देश में हरेक कामगार को संरक्षण दे पायेंगे।

श्री उमाशंकर मिश्र ने कहा कि सभी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए। 90% से अधिक कार्यबल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं जिन्हें संगठित क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। पहला संशोधन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अनुसूची से इतर कार्यकलापों में लगे कामगारों को प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से शामिल किया जाना एक स्वागत योग्य कदम है। इसके विधिक निहितार्थों की समीक्षा की जानी चाहिए। अनुसूची में कवर किए जाने वाले अन्य नियोजन की नामावली विशिष्ट तथा स्पष्ट होनी चाहिए।

श्री एस.के. दास ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि कोई समुचित सरकार किसी अनुसूचित नियोजन के मामले में न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने से बच सकती है। सरकार का यह सामाजिक दायित्व बनता है कि वह उस नियोजन के लिए जहाँ 1000 से अधिक कामगार नियोजित हैं, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करे। अन्य नियोजन के बारे में इस बात पर विचार किये बिना कि कामगारों की संख्या 1000 अथवा

1000 से कम है, सरकार को चाहिए कि उसके बारे में भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करे। संदर्भित अन्य नियोजन का नाम "नियोजन जो ऊपर वर्णित नहीं है" दिया जाए तथा अनुसूची में शामिल किया जाए। विधिक निहितार्थ संबंधी श्रम कानूनों के कई उपबंध न्यायिक संवीक्षा के अध्यधीन हैं। अतः यह कामगारों के लिए सामान्य हितकारी कार्यों में बाधक न बने।

सभी सदस्यों ने नामावली को "नियोजन जो ऊपर वर्णित नहीं है" को अनुसूची में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी ।

मद. 2ः केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्यों ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबद्ध परिवर्ती मँहगाई भत्ता घटक लागू किए जाने तक न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा/संशोधन की अवधि को 5 वर्ष से 2 वर्ष करने पर अपनी सहमति दी तथा इसके लागू होने पर यह अवधि 5 वर्ष की ही रहेगी ।

मद. 3ः यह उपबंध औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण के समक्ष लाये जाने वाले न्यूनतम मजदूरी के भुगतान संबंधी औद्योगिक विवाद के संबंध में है, इसका उल्लेख न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में पहले

से ही किया गया है तथा संशोधन के लिए यह प्रस्ताव है कि न्यूनतम मजदूरी विवाद के लंबित रहने के दौरान न्यूनतम मजदूरी की संशोधित दरें देय होंगी। अतः केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्य, 40 वें भारतीय श्रम सम्मेलन तथा केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा पूर्व में किए गए अनुमोदन के अनुसार, प्रस्ताव पर सहमत हुए।

मद. 4ः विचार-विमर्श के पश्चात् सभी सदस्य संशोधन में यथा प्रस्तावित अनुसार मजदूरी की अलग- अलग दरों को हटाने संबंधी प्रावधान पर सहमत हुए। बोर्ड के अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया कि युवाओं को और अधिक कौशल उपलब्ध कराया जाए। चूँकि किशोर वर्ग के लोग भी वयस्कों के समान ही कार्य निष्पादन करते हैं अतः उन्हें भी न्यूनतम मजदूरी की हकदारी दी जाए।

मद 5ः बोर्ड के सभी सदस्य इस परंतुक "×क सलाहकार बोर्डों/समितियों/ उप-समितियों में सभी अनुसूचित नियोजनों के संबंध में अलग-अलग निरूपण आवश्यक नहीं है" को जोड़ने पर सहमत थे।

मद 6ः नकद एवं वस्तु रूप में भुगतान करने संबंधी संशोधनों प्रस्तावों के कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयाँ होने के कारण 40 वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा की गई टिप्पणी के अनुरूप बनाने हेतु पूर्व केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के निर्माण को केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया ।

मद 7ः नियोक्ताओं द्वारा मजदूरी पुस्तिका तथा मजदूरी स्लिप के अतिरिक्त नियोजन कार्ड दिए जाने के संशोधन प्रस्ताव पर सहमति कायम हुई । तथापि, सदस्यों ने कहा कि क.रा.बी कोड संख्या और क.भ.नि. खाता संख्या का भी मजदूरी पुस्तिका तथा नियोजन कार्ड पर उल्लेख होना चाहिए । यह सुझाव भी दिया गया कि कामगारों को एक पहचान पत्र दिया जाना चाहिए जिसके लिए एक उपबंध जोड़ा जाए।

मद 8ः संशोधन प्रस्ताव में पूर्व केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की टिप्पणी "¸ाज्य सरकार के समस्तरीय श्रम अधिकारी" Ãा। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सभी सदस्य सहमत थे। तथापि, सहायक श्रमायुक्त को केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल किए जाने के संशोधन को उपयुक्त नहीं माना गया ।

धारा 20 (1) में एक प्रावधान जोड़ने, जिसके माध्यम से पीड़ित कर्मचारियों अथवा उसके उत्तराधिकारी अथवा कोई पंजीकृत स्वैच्छिक संगठन अथवा कोई पंजीकृत मजदूर संघ जिसका वह कामगार सदस्य है दावा कर सकता है, पर सभी की सहमति हुई ।

माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ने सदस्यों से इन संशोधन प्रस्तावों पर लिखित रूप में विचार/सुझाव एक माह के भीतर भेजने का अनुरोध किया ताकि केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की अगली बैठक में किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचार-विमर्श किया जा सके। केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की आगामी बैठक अप्रैल-मई, 2008 के दौरान कभी भी आयोजित की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देने के साथ बैठक समाप्त हुई।

दिनांक 22.2.2008 को आयोजित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की बैठक में शामिल प्रतिभागियों की सूची

1.	श्री ऑस्कर फर्नांडिस, श्रम और रोजगार मंत्री	**अध्यक्ष**
2.	श्री सुजीत कुमार विश्वास	सदस्य
3.	श्री के. श्रीनिवास राव	सदस्य
4.	श्री अशोक घोष	सदस्य
5.	श्री जय प्रकाश छाजड़	सदस्य
6	श्री सुखदेव प्रसाद मिश्र	सदस्य
7.	श्री उमा शंकर मिश्र	सदस्य
8.	श्री आदित्य साहू	सदस्य
9.	श्री राजेन्द्र शर्मा	सदस्य
10.	श्री जीबन रॉय	सदस्य
11.	श्री शंकर साहा	सदस्य
12.	श्री काशीनाथ मिश्र	सदस्य
13.	श्री ए.डी.रामचन्द्रन	सदस्य
14.	श्री जीतेन्द्र गुप्ता	सदस्य
15.	श्री अमित कुमार	सदस्य
16.	श्री देवेन्द्र कुमार	सदस्य
17.	डॉ. त्रिनाथ बेहेरा	सदस्य
18.	श्री चरनजीत सिंह	सदस्य
19.	श्री माइकल डायस	सदस्य
20.	श्री के.के.मित्तल	सदस्य
21.	श्री एस.इम्तियाजुद्दीन	सदस्य
22.	श्री हरशद आर. शाह	सदस्य
23.	श्री एस.मन्जुनाथ सार्ते	सदस्य
24.	श्री ई.वी.गंगाधरण	सदस्य

25.	श्री टी.एम.जवाहरलाल	सदस्य
26.	श्री बी.सी.प्रभाकर	सदस्य

श्रम और रोजगार मंत्रालय से विशेष आमंत्रित

1.	श्रीमती सुधा पिल्ले	सचिव(श्रम और रोजगार)
2.	डॉ. अशोक साहू	श्रम और रोजगार सलाहकार
3.	डॉ. हरचरण सिंह	उप-महानिदेशक
4.	श्री एस.के.श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव
5.	श्री सुरेश चन्द्र	विधि सलाहकार
6.	श्री बी.के.सांवरिया	कल्याण आयुक्त
7.	श्री पी.पी.सरकार	उप मुख्य श्रमायुक्त(के.)
8.	श्रीमती भावना सिंह	उप-निदेशक
9.	श्री किशोरी लाल	सहायक निदेशक
10.	श्री एस.के.दास	सहायक श्रमायुक्त(के.)
11.	श्रीमती कामिनी वर्मा	आर्थिक अधिकारी